(152)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) R. 5226.तो/15

R 5226-II/15 Rs.30/-

राजेश नामदेव पिता श्री पंचम नामदेव, उम्र–31 वर्ष, पेशा–पटवारी, निवासी–ग्राम नौडिया, तहसील–देवसर, जिला–सिगरौली म0प्र0 ————**निगरानीकर्ता**

बनाम

म0प्र शासन द्वारा कलेक्टर जिला–सिगरौली म0प्र0 ———— **गैरनिगरानीकर्ता**

आर.डी. कुशवाहा द्वारा आज दिनांक 14-12-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्र0क्र0 <u>234/अ0/2015–16 पारित आदेश दि 01/12/2015</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959</u>

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1– यह कि निगरानीकर्ता के विरुद्ध ग्रामवासी ग्राम तमई बडरम एवं गढवा, तहसील–चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0 द्वारा कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली के समक्ष झूठा आवेदन दिया गया था। कलेक्टर महोदय द्वारा शिकायत की जॉच करने हेतु कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त कोरावल तहसील–चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0 को दिया गया था। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत जॉच कर अपना प्रतिवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 5226–दो/16 जिला–सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 कुशवाह उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 234/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.12.15 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को में कहा गया है कि प्रकरण रिकार्ड के आधार पर निराकरण कर दिया जावे। अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा दिनांक 13.1.15 को अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी को यह निर्देश दिया गया कि राजेश नामदेव पटवारी तहसील चितरंगी के पूर्व हल्को के अभिलेखों के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त जांच दल द्वारा कराये जाने पर पाया गया उसके द्वारा अधिकारिता रहित अभिलेखों में कूट रचना की गई हें जिला अभियोजन अधिकारी सिंगरौली के पत्र कमांक 375/15 दिनांक 3.1.15 द्वारा लेख किया गया कि पटवारी राजेश नामदेव के द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होने के कारण पटवारी के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज करने के आदेश हुये है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रचलनशीलता	

पर ही निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 234/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.12.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य